"निजनेस पोस्ट के शन्तर्गत डाक शुक्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेष्ण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छतीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिताई, विश्वंक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/ स्रो. ओ./रायपुर/17/2002.''

2005

छत्तीसगढ राजपञ्

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 102]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 मई 2005--ज्येष्ठ 6, शक 1927

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 मई 2005

क्रमांक 4646/21-अ/प्रारुपण/04.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 18-5-2005 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक ७ सन् २००५)

छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर अधिनियम, 2005

अधांसंरचना विकास परियोजनाओं एवं पर्यावरण सुधार परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कोप बनाने हेतु भूमि पर उपकर उद्ग्रहित करने हेतु अधिनियम.

यत: राज्य में विकास गतिविधियों एवं पर्यावरण सुधार को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में वृद्धि करना आवश्यक है.

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ.

1.

- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ (अधोसरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर अधिनियम, 2005 है.
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.
- (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

परिभाषाएं.

- 2. (1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - (क) ''उपकर'' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन अधोसंरचना विकास उपकर या धारा 4 के तहत् उद्ग्रहित पर्यावरण उपकर;
 - (ख) ''अधोसंरचना विकास कोष '' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित कोष;
 - (ग) ''पर्यावरण कोष'' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन स्थापित कोष;
 - (घ) ''खिन पट्टे'' से अभिप्रेत है, खान एवं खिनज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (क्रमांक 67 सन् 1957) के अंतर्गत स्वीकृत पट्टा;
 - (ङ) ''विहित'' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित नियमों के द्वारा विहित;
 - (च) ''अधोसंरचना विकास उपकर की प्राप्तियां'' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहित उपकर की प्राप्तियां;
 - (छ) ''पर्यावरण उपकर की प्राप्तियां'' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन उद्ग्रहित पर्यावरण उपकर की प्राप्तियां;
 - (2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का जिनका इस अधिनियम में उपयोग किया गया है, किन्तु उसमें परि-भाषित नहीं किया गया है, क्रमशः वही अर्थ होगा, जैसा कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (क्र. 67 सन् 1957) में उन्हें दिया गया है.

3. (1) इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि को एवं से, समस्त भूमि जिस पर भू-राजस्व या भू-भाटक, चाहे जिस नाम से जानी जाती हो उद्ग्रहित की गई हो, पर अधोसंरचना विकास उपकर उद्ग्रहित एवं संग्रहित की जाएगी.

अधोसंरचना विकास उपकर

परन्तु भृिम, जो कुछ समय के लिए भू-राजस्व या भू-भाटक, यथास्थिति भुगतान से मुक्त है, अधोसंरचना विकास उपकर उदग्रहित नहीं की जाएगी.

- (2) अधोसंरचना विकास उपकर अनुसूची-एक में वर्णित दर पर लगाई जाएगी.
- 4. (1) इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि को एवं से, समस्त भूमि जिस पर भू-राजस्व या भू-भाटक, चाहे जिस नाम से जानी जाती हो उद्ग्रहित की गई हो, पर पर्यावरण उपकर उद्ग्रहित एवं संग्रहित की जाएगी.

पर्यावरण उपकर्

परन्तु भूमि, जो कुछ समय के लिए भू-राजस्व या भू-भाटक, यथास्थिति भुगतान से मुक्त है, पर्यावरण उपकर उद्ग्रहित नहीं की जाएगी.

- (2) पर्यावरण उपकर अनुसूची-दो में वर्णित दर पर उद्ग्रहित की जाएगी.
- 5. (1) एक कोष स्थापित होगा जिसका नाम अधोसंरचना विकास कोष होगा.

छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास कोष.

- (2) अधोसंरचना विकास कोष,—
 - (क) अधोसरंचना विकास उपकर की प्राप्तियां;
 - (ख) राज्य सरकार के द्वारा अनुदान की कोई राशि; और
 - (ग) अन्य जिस किसी स्रोत से प्राप्त होने वाली कोई अन्य राशि.

से मिलकर निर्मित होगा.

- (3) अधोसंरचना विकास कोष का राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसे अधोसंरचना विकास परि-योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उपयोग किया जाएगा जैसी कि विहित किया जाए.
- 6. (1) एक कोष स्थापित होगा जिसका नाम पर्यावरण कोष होगा.

छत्तीसगढ़ पर्यावरण कोष.

- (2) पर्यावरण कोष.—
 - (क) पर्यावरण उपकर की प्राप्तियां;
 - (ख) राज्य सरकार के द्वारा अनुदान की कोई राशि; और
 - (ग) अन्य जिस किसी स्रोत से प्राप्त होने वाली कोई अन्य राशि

से मिलकर निर्मित होगा.

(3) पर्यावरण कोष का राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसे पर्यावरण परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उपयोग किया जाएगा जैसी कि विहित किया जाए.

| उपकर का निधारण एवं सम्रहण. | 7. | (1) | अधिनियम की धारा 3 एवं 4 के अंतर्गत लगाई जाने वाली उपकर का निर्धारण ऐसी रांति से किया जावेगा, जैसी कि विहित किया जाए. |
|-------------------------------|-----|----------|---|
| | | (2) | हस आधिनियम के अंतर्गत लगाए गए उपकर भू-राजस्व की बकाया के रूप में संग्रहित किए जाएं। और एमे मंग्रहण के लिए छतीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 के प्रावधान यथावरयक परिवर्तन सहित लागू होगा. |
| अनुसूची का संशोधन. | 8. | (1) | राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके किसी उपकर के दर को पुनरीक्षित करने के लिए इस अधिनियम के किसी अनुसूची में संशोधन कर सकेगी. |
| | ži. | | परन्तु किरगे प्रकार की दर अनुवर्ती 3 वर्षों की अविध में एक बार से अधिक पुनरीक्षित नहीं की जाएगी. |
| , | |) (4) | परन्तु यह और भी कि इस उप धारा के अधीन जारी किसी अधिसूचना के द्वारा किसी उपकर की दर में वर्तमान दर से पचास प्रतिशत से अधिक वृद्धि नहीं की जाएगी. |
| | | (2) | उप धारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना यदि सन्न चालू हो तो तत्काल, और यदि सन्न चालू न हो तो ऐसे नियम अधिसूचिन करने की तारीख के तत्काल पश्चात् के सन्न में, विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा. |
| नियम बनाने की शक्ति. | 9. | (1) | राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को लागू करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके नियम बना सकेगी. |
| | | (2) | इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम यदि संत्र चालू हो तो तत्काल, और यदि संत्र चालू न हो तो ऐसे नियम अधिसूचित करने की तारीख के तत्काल पश्चात् के संत्र में, विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा. |
| | | | |

अनुसूची-एक (धारा 3 देखें)

| अ. क्र. | भूमि का वर्गीकरण | | 121 | विकास उपकर की दर |
|---------|---|----|-----|--|
| (1) | (2) | ٠, | • | (3) |
| 1. | कोयले तथा लौह अयस्क खिन पट्टों के अंतर्गत आच्छादित भूमि पर. | | | वार्षिक खनिज प्रेषण पग 5 रुपये प्रतिटन |
| 2. | उपरोक्त (1) के अलावा खिन पट्टों के अंतर्गत आच्छादित भूमि पर. | | | वार्षिक देय रायल्टी की 5 प्रतिशत राशि |
| 3. | उपरोक्त (1) तथा (2) के अंतर्गत आच्छादित भूमि के अलावा भूमि पर. | | | वार्षिक देय भू-राजस्व या भू-भाटक, यथास्थिति, को व का 5 प्रतिशत. |

अनुसूची-दो (धारा 4 देखें)

| 39. Th. | भूमि का वर्गाकरण (2) | पर्यानरण उपकर की दर (3) |
|---------|---|---|
| 1. | ं कोयले तथा लौह अयस्क खनि पर्टों के अंतर्गत आच्छादित भूमि पर. | वार्षिक उनिज प्रेषण पर 5 रुपये प्रतिटन |
| 2. | उपरोक्त (1) के अलावा खनि पट्टों के अंतर्गत आच्छादित भूमि पर. | वार्षिक देय रायल्टी की 5 प्रतिशत राशि |
| 3. | उपरोक्त (1) तथा (2) के अंतर्गत आच्छादित भूमि के अलावा भूमि पर. | वार्षिक देय भू-राजस्व या भू-भाटक, यथास्थिति, की राशि का 5 प्रतिशत. |

रायपुर, दिनांक 26 मई 2005

क्रमांक 45-26/21-अ/प्रारुपण/04.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) अधिनेयम, 2005 (क्र. 7 सन् 2005) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT (No. 7 of 2005)

CHHATTISGARH (ADHOSANRACHNA VIKAS EVAM PARYAVARAN) UPKAR ADHINIYAM, 2005

An Act to provide for levy of cess on land for raising funds to implement infrastructure development projects and environment improvement projects.

Whereas it is expedient to provide for additional resources for augmenting the development activities and improvement of environment in the State.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the fifty sixth year of the Republic of India as follows:—

- 1. (1) This Act may be called Chhattisgarh (Adhosanrachna Vikas Evam Paryavaran) Upkar Adhiniyam, 2005.
- Short title, extend and Commencement.

- (2) It extends to the whole of State of Chhattisgarh.
- (3) It shall come into force on the date of 'ts publication in the Official Gazette.

| | | 715 | In this Act, unless the context otherwise requires,— |
|---------------------------------------|------------|--------|---|
| Definitions. | 2. | (1) | (a) "cess" means the infrastructure development cess levied under section 3 or the environment cess levied under section 4 of this Act; |
| | | | (b) "infrastructure development fund" means the fund established under section 3 of this Act; |
| | | | (c) "environment fund" means the fund established under section 4 of the Act; |
| | | | (d) "mining lease" means a lease granted under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957); |
| | | | (e) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act; |
| | | | (f) "proceeds of infrastructure development cess" means the proceeds of cess levied under section 3 of this Act; |
| | | | (g) "proceeds of environment cess" means the proceeds of cess levied under section 4 of this Act; |
| | | (2) | The words and expressions used in this Act, but not defined therein, shall have the meaning respectively as assigned to them in the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) and the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957). |
| Infrastructure de- velopment cess. | 3. | . (1) | On and from the date of commencement of this Act, there shall be levied and collected an infrastructure development cess on all lands on which land revenue or rent, by whatever name called, is levied. |
| , a | | | Provided that infrastructure development cess shall not be levied on land which for the time being is exempt from payment of land revenue or rent, as the case may be. |
| | | (2) | The infrastructure development cess shall be levied at the rate specified in Schedule-1. |
| Environment cess. | 4 | 4. (1) | On and from the commencement of this Act, there shall be levied and collected an environment cess on all lands on which land revenue or rent, by whatever name called, is levied. |
| | | | Provided that environment cess shall not be levied on land which for the time being is exempt from payment of land revenue or rent, as the case may be. |
| | | (2) | The environment cess shall be levied at the rate specified in Schedule-II. |
| Infrastructure Deve | ļ . | 5. (1) | There shall be established a fund to be called Infrastructure Development Fund. |
| opment Fund. | | (2) | The infrastructure development fund shall consist of,— |
| | | | (a) the proceeds of infrastructure development cess, |
| | | | granted by the State Government, and |
| | | | (c) any other sum received from any source whatsoever. |
| | | | · |

9. (1) The State Government may make rules for carrying out the purposes of this Act.

Power to make rules.

Every rule made under this Act shall be laid immediately before the Legislative Assembly of the State if it is in session, and if it is not in session, in the session immediately following the date on which such rule is notified.

SCHÉDULE-I (See section 3)

| S. No. (1) | Classification of Land (2) | Rate of development cess (3) |
|---------------|---|--|
| 1. | On land covered under coal and iron ore mining leases. | Rupees 5 on each tonne of annual dispatch of mineral. |
| 2. | On land covered under mining leases other than (1) above. | 5 percent of the amount of royalty payable annually. |
| 3. | On land other than land covered under (1) and (2) above. | 5 percent of the amount of land revenue or rent, as the case may be, payable annually. |

SCHEDULE-II (See section 4)

| S No. | Classification of Land | | Rate of environment cess (3) |
|-------|---|--|--|
| 1. | On land covered under coal and iron ore mining leases. | | Rupees 5 on each tonne of annual dispatch of mineral. |
| 2. | On land covered under mining leases other than (1) above. | | 5 percent of the amount of royalty payable annually. |
| 3. | On land other than land covered under (1) and (2) above. | | 5 percent of the amount of tand revenue or rent, as the case may be, payable annually. |